District Magistrate
Date 23.2.15
R.No. 1449
Confidential Section
NIC

बिहार सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,बिरौल ।

ई. निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–RWD/Biraul /M.M.S.N.Y/05/2014-15

बिहार के राज्यपाल महोदय की ओर से मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना का पथ निर्माण विभाग के चतुर्थ श्रेणी में निबंधित संवेदकों से प्रतिशत दर पर ई–निविदा प्रकिया के माध्यम से निविदा आमंत्रित निम्न लिखित पुलिया निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

| क्रमांक | कार्य का नाम | पुलिया की लंबाई | निर्माण की राशि (लाख में) | अग्रधन की राशि | परिमाण विपत्र का मूल्य | कार्य समाप्ति की अवधि | राशि देय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | बिरौल प्रखण्ड अन्तर्गत नेउरी मरकन्नी घाट में आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य। | 1×3मी0×3मी0 | 12.81179 | 25700.00 | 2500.00 | 6 माह | कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिरौल, । भुगतेय बेनीपुर। |

1. ऑन लाईन निविदा फार्म मिलने का समय : दिनांक **10.03.2015** से **17.03.2015** अपराह्न 3:00 बजे तक।
2. ऑन लाईन निविदा जमा करने का समय : दिनांक 18.03.2015 अपराह्न 3:00 बजे तक।
3. ऑफ लाईन निविदा जमा करने का समय : दिनांक 19.03.2015 अपराह्न 3:00 बजे तक।
4. ऑन लाईन निविदा खोलने का समय : दिनांक **19.03.2015** को 3:30 बजे अपराह्न।
5. निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेब साईट http:/pmgsytendersbih.gov.in पर देखा जा सकता है। इन्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट http:/pmgsytendersbih.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। ई– टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी / सूचना हेतु पॉचवा, तल्ला ,ग्रामीण कार्य विभाग विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना / अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने वाले पदाधिकारी को अधिकार होगा कि वह कभी भी बिना कारण बताए निविदा स्थगित या रद्द कर दे । कार्यपालक अभियंता, मो. नं.–8986915449

21.2.15
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिरौल ।

ज्ञापांक 152 दिनांक 21.02.15

प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,बिहार, पटना को हिन्दी दैनिक समाचार पत्रो एवं एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु पाँच प्रतियों में एक सी0डी0 के साथ समर्पित किया जाता है।

21.2.15
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिरौल।

## कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
## ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,बिरौल ।
### ई. निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–RWD/Biraul /M.M.S.N.y/05/2014-15)

बिहार के राज्यपाल महोदय की ओर से मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना का पथ निर्माण विभाग के चतुर्थ श्रेणी में निबंधित संवेदकों से प्रतिशत दर पर ई–निविदा प्रकिया के माध्यम से निविदा आमंत्रित निम्न लिखित पुलिया निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

| कमांक | कार्य का नाम | पुलिया की लंबाई | निर्माण की राशि (लाख में) | अग्रधन की राशि | परिमाण विपत्र का मूल्य | कार्य समाप्ति की अवधि | राशि देय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | बिरौल प्रखण्ड अन्तर्गत नेउरी मरकन्नी घाट में आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य। | 1×3मी0×3मी0 | 12.81179 | 25700.00 | 2500.00 | 6 माह | कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिरौल। भुगतेय बेनीपुर। |

1. ऑन लाईन निविदा फार्म मिलने का समय : दिनांक **10.03.2015** से **17.03.2015** अपराह्न 3.00 बजे तक।
2. ऑन लाईन निविदा जमा करने समय : दिनांक 18.03.2015 अपराह्न 3.00 बजे तक।
3. ऑफ लाईन निविदा जमा करने का समय : दिनांक 19.03.2015 अपराह्न 3:00 बजे तक।
4. ऑन लाईन निविदा खोलने का समय : दिनांक **19.03.2015** को 3.30 बजे अपराह्न।
5. निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेब साईट http:/pmgsytendersbih.gov.in पर देखा जा सकता है। इन्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट http:/pmgsytendersbih.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। ई– टेन्डरिंग की प्रकिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी / सूचना हेतु पॉचवा, तल्ला ,ग्रामीण कार्य विभाग विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना / अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने वाले पदाधिकारी को अधिकार होगा कि वह कभी भी बिना कारण बताए निविदा स्थगित या रद्द कर दे । **कार्यपालक अभियंता, मो. नं.–8986915449**

**विशेष शर्ते :–**

सभी निविदा प्रतिशत दर पर ई–निविदा ई –निविदा प्रकिया के माध्यम से आमंत्रित की जा रही है। ई–निविदा पत्र वेबसाइट http://pmgsytendersbih.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की शुद्धि पत्र वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जायेगा।

1. पथ निर्माण श्रेणी में निबंधन प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
2. अद्यतन लेबर लाईसेंस की सत्यापित छायाप्रति।
3. वाणिज्यकर/वैट निबंधन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
4. अद्यतन वाणिज्यकर/वैट स्वच्छता प्रमाण पत्र ( वैट स्वच्छता प्रमाण–पत्र एकरारनामा के पूर्व देना होगा।)
5. अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
6. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
7. यंत्र–संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों का स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा निविदाकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म से यंत्र/संयंत्र उपलब्ध कराने का प्रति शपथ पत्र, साथ ही व्यवहत होने वाले यंत्र–संयंत्रों की व्यवस्था करने संबंधी प्रमाण पत्र।
8. अभियंत्रण इकाई में कार्यरत कर्मियों की सूची एवं नियोजन के संबंध में नियोजनकर्ता एवं नियोजित अभियंता का शपथ पत्र।
9. साझेदारी फर्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति
10. अग्रधन की राशि जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवॉ निर्गम), सावधि जमा पासबुक (1,2,3 वर्षीय) जमा पासबुक के रूप में हो जो संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिरौल के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त हो, मूल में समर्पित किया जाएगा।
11. निविदाकार के अधीन लंबित कार्यों की राशि सहित सूची।
12. विगत पॉच वर्षों में से किन्ही तीन वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर।
13. समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा नये निबंधित निविदाकारों द्वारा किसी अन्य कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र या राष्ट्रीयकृत बैंकों से कार्य क्षमता से संबंधित प्रमाण पत्र। यदि इनमें कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके तकनीकी बीड को अमान्य कर दिया जायेगा।
14. परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर अंको एवं शब्दों में) अंकित किया जाएगा। अभिलेखो के जॉचोंपरांत मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति/अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति (अ0अ0 को निविदा निष्पादन की प्रदत्त शक्ति के अंदर होने पर) द्वारा अंक तालिका के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदाकर्ताओं का वित्तीय बीड बाद में खोला जाएगा, जिसकी सूचना समय पर दी जायेगी। विभाग ने निर्णय लिया है कि 50 लाख रूप्ये तक की लागत योजना के लिए एक ही लिफाफे में निविदा प्राप्त किया जाएगा तथा 2 करोड़ से उपर राशि का निविदा SBD में प्राप्त किया जाएगा।

15. कार्यों को विशिष्टी के अनुरूप करने हेतु सभी आवश्यक मशीनों एवं यंत्र–संयंत्रों, गुण नियंत्रण उपकरणों के स्वामित्व प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा तकनीकी बीड के साथ संलग्न करना होगा। नये व्यवस्था में यह भी प्रावधान किया गया है कि आवश्यक मशीनों एवं यंत्र–संयंत्रों,गुण नियंत्रण उपकरणों की व्यवस्था निविदादाता द्वारा स्वयं करनी होगी। निविदादाता अगर किसी व्यक्ति फार्म से यंत्र–संयंत्र की व्यवस्था संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की स्थिति में विभाग द्वारा इसकी सत्यता एवं कार्य भार के संबंध में संतुष्ट हो लिया जाएगा। यदि कार्य को विशिष्ट के अनुरूप सम्पन्न कराने हेतु यंत्र–संयंत्र, गुण नियंत्रण प्रयोगशला इत्यादि एवं इन्हें स्थापित करने हेतु आवश्यक भूमि (मिनी हॉट मिक्स प्लांट, गुण नियंत्रण प्रयोगशाला) की उपलब्धता ससमय सुनिशिचत नही की जाती है और इसके कारण कार्य समय पर पूर्ण नही होता है तो संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी।

16. परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि शपथ पत्र लिफाफे में डालकर निशिचत रूप से निविदा खुलने के पूर्व मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिरौल के कार्यालय में दिनांक– 19.03.15 को 3:00 बजे अपराहन तक हाथों–हाथ पहुँचाना होगा। इस कार्य में निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा।

(क) संवेदक अपना नाम अथवा फर्म का नाम लिफाफे के उपर नहीं लिखिंगे।

(ख) ई–निविदा जमा करने पर एक पावती (Acknowledgement) प्राप्त होता है। उस पावती पर दिये गये संख्या को ही परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि डाले हुए लिफाफे के उपर लिखेगें। यह निविदा की गोपनीयता के लिए आवश्यक है।

(ग) ई–निविदा जमा करने पर प्राप्त पावती (Acknowledgement) की छायाप्रति लिफाफे में डाल देगें जिससे समुचित पहचान की जा सके।

17. बिड डाउनलोड किये गये परिमाण विपत्र (BOQ) में ही रेट डालकर अपलोड करना होगा।

18. अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक से निर्गत होना चाहिए जिस जिले का पता निबंधन में अंकित है अथवा जहाँ व्यवसाय चल रहा है। व्यवसाय वाले जिले में उनके द्वारा कराये गये कार्यों, प्रगतिशील कार्यालय का पता से संबंधित साक्ष्य देना है। पार्टनरशीप के मामले में प्राईम पार्टनर का आचरण प्रमाण पत्र आवश्यक है।

19. उपरोक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य (नही लौटाने पर) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिरौल ( Executive Engineer, RWD Works Division, Biraul) के पदनाम से बेनीपुर में भुगतेय हो, दिया जाना होगा। किसी भी परिस्थिति में नगद राशि **परिमाण** विपत्र अथवा अग्रधन की राशि के लिए नही ली जायेगी।

20. पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म निविदा का पात्र नही होगा। यदि किसी फर्म का कोई पार्टनर रनींग संवेदक है तथा उनका अलग निबंधन है तो उनके नाम से निर्गत किसी भी मशीन का स्वामित्व अनुभव इत्यादि की मान्यता फर्म के लिए नहीं दी जाएगी।

21. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है। अतः अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि देय होगी।

22. डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त संवेदकों को बेवसाइट http://pmgsytendersbih.gov.in पर स्वयं रजिस्ट्रेशन करना होगा तभी वे ई– निविदा प्रकिया में भाग ले पायेगें।

23. निविदादाताओं को आवंटित कार्य से संबंधित सभी सामग्री के कय का प्रमाणक जिसमे उनकी विशिष्टि का स्पष्ट वर्णन हो समर्पित करना होगा। जिसके अभाव में भुगतान रोक दिया जा सकता है।

24. निविदादाताओं द्वारा परिमाण विपत्र कय करने के पहले कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वोयरी (Quarry) की स्थिति एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा जमा करने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नही होगा।

25. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा। इस मद में कोई दावा या ब्याज इत्यादि अनुमान्य नहीं होगा।

26. संवेदक के द्वारा विविध कार्यों के लिए एकरारनामा लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ 2 पर किया जायेगा। तथा पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं0ए0–21 नियम 08/92–6113(ए), दिनांक– 18.11.1992 से एकरारनामा प्रपत्र एफ2 की कंडिका सं0 23 को विलोपित माना जायेगा।

27. विभाग के सक्षम पदाधिकारी को बिना कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं कार्यों के या किसी कार्य के किन्हीं अंश/अशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नही होगा।

28. कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 80/100, 60/70 ग्रेड पैक्ड बिटुमेन के कय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदकों द्वारा स्वयं अपनी लागत पर की जायेगी, जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अंग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमेन का कय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कंपनियों से ही करना होगा। बिटुमेन कय के 48 घंटे के अंदर कैष मेमो संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को प्रस्तुत करना होगा।

29. निविदा में सफल संवेदक को एकरारनामा करने के उपरांत साप्ताहिक एवं मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा एवं कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात् अविलंब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट्ट के आकार–प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त कार्य प्रारंभ के पूर्व कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरांत अर्थात् कार्य के तीनों स्थितियों से संबंधित कार्य स्थल की फोटोग्राफी/ विडियो ग्राफी करनी होगी तथा इससे संबंधित फोटोग्राफ/सी0डी0 संबंधित कनीय अभियंता को समर्पित करनी होगी जो उन फोटोग्राफ/सी0डी0 की जॉचोंपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उन्हें संबंधित अवर प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

30. एकाधिक निविदाकारों से उद्धत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये एक निविदाकार के साथ ही दर परकमण किया जायेगा एवं उसी निविदाकार को नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

31. जिस संवेदक के आचरण प्रमाण पत्र में वैध अवधि अंकित है उस अवधि के बाद निविदा के साथ आचरण प्रमाण पत्र समर्पित करने पर आचरण प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी। जिस संवेदक के आचरण प्रमाण पत्र में वैध अवधि उल्लेखित नही है उसकी मान्यता आचरण प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि से छः माह मानी जायेगी।

32. यदि किसी माह के दसवीं तिथि तक पूर्व माह का विपत्र संवेदक से प्राप्त नही होता है अथवा संबंधित अभियंता द्वारा पाया जाता है कि उनके द्वारा त्रुटियों के निराकरण हेतु दिये गए निर्देश के आलोक में निर्धारित अवधि में संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं कराया गया है तो संवेदक को वर्णित माह का भुगतान देय नही होगा।

33. यदि संवेदक निर्धारित अवधि में संबंधित अभियंताओं द्वारा दिये गए निर्देश का अनुपालन करने में विफल होते है तो संवेदक को उस माह का किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।

34. राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग या संस्थान में काली सूची में डाले गये संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होगें।

35. निविदा सूचना की अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के बावजूद कोई निविदाकार निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होगें यदि :–

क. निविदाकार के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथपत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाला तथ्य समर्पित किया गया हो।

ख. किसी निविदाकार का कार्य निष्पादन का Record खराब रहा हो। अर्थात् उन्होंने आवंटित कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, संविदा की शर्तों के अनुसार कार्य सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलंब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो, या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय–सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लंबित हो।

ग निविदाकार द्वारा पूर्व में उसी कार्य हेतु Unreasonably ऊँचा या कम दर डाला गया हो, जिसके लिए उनके द्वारा नियोक्ता को कोई युक्ति पूर्ण कारण न बताया गया हो।

घ. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। विभागीय परिपत्र एवं समय–समय पर निकले सरकारी आदेश निविदाकार को मान्य होगे।

ड. कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित विभागीय दर से 10 ( दस ) प्रतिशत से कम दर की निविदा अमान्य होगी।

च. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है।

छ. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये रद्द कर दें, जिसके लिए दावा मान्य नहीं होगा।

ज. यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अंग होगा।

झ. Bitumen Price Neutralization लागू होगा।

ट. किसी प्रकार की विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

ठ. टेन्डर में समर्पित सभी अभिलेख संवेदक द्वारा स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए।

ड. संवेदक कार्य शुरू करने के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति पर रंगीन फोटोग्राफी कर प्रमंडल में जमा करेगें।

36. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–292 दिनांक–10.9.12 में निहित प्रावधान निम्नवत अनुपालन करना अनिवार्य है:–

1 जिन संवेदकों के द्वारा पूर्व आवंटित कार्यों की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 80% (अर्थात) 80% कार्य प्रगति का तात्पर्य (Overall Progress) नहीं है, उन्हें अन्य योग्यता रखने के बावजूद S.B.D की कंडिका 4.8 में वर्णित प्रावधान के अनुसार तकनीकी मूल्याकन में असफल घोषित किया जायेगा।

2 कोई संवेदक यदि पूर्व आवंटित कार्य को बिना किसी Justified Reason के छोड़कर चल गये हों, तो ऐसे संवेदक को भी अगले निविदा के तकनीकी मूल्यांकन में असफल घोषित किया जायेगा।

3 संवेदक को इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि वे S.B.D की कंडिका 4.8 के तहत अयोग्य नहीं है।यह प्रावधान एफ–2 के निविदा पर भी प्रभावी है।

21.2.15

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिरौल

ज्ञापांक :–................../ दिनांक :– ......................../

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सी0 डी0 एवं सूचना पत्र की पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिरौल

ज्ञापांक:– /दिनांक:–

प्रतिलिपि:– अधीक्षण अभियंता, गामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमंडल,बिरौल

ज्ञापांक:– /दिनांक:–

प्रतिलिपि:– मुख्य अभियंता–3, गामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिरौल

ज्ञापांक 152 दिनांक 21·02·15

प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ समर्पित।

21.2.15

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमंडल,बिरौल